हरिपद राय बनाम भारत संघ और अन्य

(1975) 79 सी.डब्ल्यू.एन. 834

तथ्य

प्रार्थी ने यह अपील न्यायमूर्ति एम.एम. दत्त द्वारा 1974 में दिए गए आदेश के विरुद्ध दायर की जिसमें उन्होंने एक नियम को हटा दिया था। प्रार्थी ने इस नियम द्वारा अपने नियोक्ता, कलकत्ता पतन आयुक्त, द्वारा किए गए आदेश को चुनौती दी थी। कलकत्ता पतन आयुक्त ने प्रतिवादी संख्या 4 से 30 तक की सहायक चिकित्सा अधिकारी के पद से वरिष्ठ सहायक चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नति कर दी थी। प्रार्थी ने यह दावा किया था कि अनुसूचित जाति का सदस्य होने के नाते वह 1958 में किए गए संकल्प के आधार पर प्रतिवादी सं. 2 की सेवा में पदों के आरक्षण का लाभ पाने का हकदार था।

वाद-विषय

1. क्या अनुच्छेद 16(4) के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए पदों का आरक्षण नियुक्ति के शुरू-शुरू में ही किया जा सकता है या पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर भी किया जा सकता है।

2. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए ''उनकी सभी सेवाओं में'' कुछ प्रतिशत पदों का आरक्षण करने वाले प्राधिकार के संकल्प में क्या पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में भी आरक्षण करने का विचार किया गया था।

निर्णय

न्यायमूर्ति एस.के. मुखर्जी और न्यायमूर्ति सुधामय बसु, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया:-

1. अनुच्छेद 16(4) में ''नियुक्तियों या पद'' शब्दों के प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि उक्त अनुच्छेद में न केवल नियुक्तियां के शुरू में ही सेवाओं या पदों को भी ध्यान में रखा गया है जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा।

2. कलकत्ता के पतन प्राधिकारियों द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कुछ प्रतिशत रिक्तियों का आरक्षण करते समय पारित संकल्प में प्रयुक्त ''उनकी सभी सेवाओं में'' शब्दों को अनुच्छेद 16(4) में विचारित ''सभी नियुक्तियां या पद'' शब्दों के बराबर

माना जाए। अत: इसमें केवल प्रारम्भिक नियुक्ति हीं नही बल्कि किसी पद की पदोन्नति द्वारा भरा जाना भी शामिल होगा।

इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए न्यायालय ने महाप्रबंधक, दक्षिण रेलवे बनाम रंगाचारी मामले को आधार माना। उच्चतम न्यायालय ने उस मामले में निर्दिष्ट किया कि ''अनुच्छेद 16(4) के अधीन राज्य को प्रदत्त आरक्षण की शक्तियों का प्रयोग राज्य द्वारा किसी उपयुक्त मामले में केवल नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था करने में हीं नहीं बल्कि चयन पदों (सलेक्शन पोस्ट) में भी आरक्षण की व्यवस्था करने में भी किया जा सकता है''। इसलिए न्यायालय ने अपील मंजूर कर ली।